और

पुलिस
और
हमारे अधिकार

पुलिस और हमारे अधिकार

लेखिका

रीमा पाराशर

आवरण एवं चित्रांकन

शंकर नायक

प्रकाशक

चेतन साहित्य मंदिर

ए-47, अमर कालोनी, लाजपत नगर

नई दिल्ली-110024

ISBN : 81-8102-007-3

प्रकाशक :
चेतन साहित्य मंदिर
ए-47, अमर कालोनी, लाजपत नगर
नई दिल्ली-110024

मूल्य :
30.00 रुपये

संस्करण :
सन् 2002

आवरण :
एस. के. ग्राफिक्स, दिल्ली-110032

शब्द-संयोजन :
एस. के. कम्प्यूटर्स, दिल्ली-110032

से क्या सबको डरना चाहिए?

ल्कुल नहीं। वे डरें जो गलत काम करते हैं।
यों डरें? पुलिस का काम डराना नहीं है।
का काम हमारी मदद करना है। हमारी
त करना है।

**र डर तो लगता है। पुलिस जो चाहे कर
ी है।**

हीं कर सकती। कानून-कायदे हमारे लिए हैं
लस के लिए भी हैं। गलत काम की सजा हमें
कती है तो पुलिस को भी हो सकती है।

लेकिन होती तो नहीं?

होती है। कोई ऊंचे अधिकारी से शिकायत क
तो होती है। शिकायत भी नहीं सुनी जाये त
आंदोलन करने पर होती है।

एक दिन मेरे पड़ोसी के पास पुलिस आई
उसने कहा कि आपके खिलाफ शिकायत है। चलि
पुलिस थाने। आपको गिरफ्तार किया जाता है।

कर सकती है इस तरह पुलिस?

सिर्फ शिकायत पर पुलिस किसी को गिरफ्ता
नहीं कर सकती। उसे बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्

कर रही है पुलिस को जुर्म बताना पडेगा वारंट दिखाना होगा।

लेकिन वह बिना वारंट के भी तो गिरफ्तार कर लेती है?

कोई बड़ी बात हो तो कर भी सकती है। लेकिन तब आप वकील को बुला सकते हैं। लेकिन वकील को जल्दी आना पड़ेगा। यह नहीं कि वकील जब चाहे, आए और पुलिस उसके इंतजार में घंटों बैठी रहे।

क्या हर एक को हथकड़ी लगाना जरूरी है?

कतई नहीं। हरेक को हथकड़ी लगाना गैरकानूनी है। हथकड़ी केवल किसी बदनाम अपराधी को लगा सकती हैं। उसे भी लगा सकते हैं जिसके कि भागने का डर हो। यह भी बता दें कि आपके पहचान वालों और रिश्तेदारों को भी आप अपने साथ थाने ले जा सकते हैं। पुलिस उन्हें साथ चलने से रोक नहीं सकती।

कितने दिन पुलिस किसी को गिरफ्तार करके

सकती है?

ौबीस घंटे। केवल एक दिन। इससे
इसके बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट में उस
पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट जो आदेश
ुरना होगा। वह छोड़ने को कहे तो
।

ो पुलिस हिरासत में ले गई। उनको
-पीटा। क्या किसी को शक में
जा सकता है?

ुलिस हिरासत में सताना, मारना-पीटना
भी तरह का जुल्म करना अपराध है।
ो, इसकी तुरंत डॉक्टरी जांच करानी

चाहिए डॉक्टरो से चोटो का प्रमाण पत्र ले इसके आधार पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करे।

पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करके फिर जमानत पर क्यों छोड़ देती है?

कुछ अपराधों पर पुलिस जमानत लेकर छोड़ सकती है।

गिरफ्तार करते समय पुलिस को बताना पड़ता है कि इस जुर्म में पुलिस उसे जमानत पर छोड़ सकती है या नहीं छोड़ सकती है। पुलिस नहीं बताये तो यह बात वकील से पूछ सकते हैं। जिस जुर्म की जमानत हो सकती है, उसके लिए जमानत लेना हर आदमी का कानूनी हक है।

क्या जमानत पर छूटने के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं?

बिलकुल भी नहीं। पुलिस जमानत का एक फार्म देती है। उस पर जमानत की रकम लिखनी पड़ती है। अगर गिरफ्तार होने वाला जमानत की शर्त तोड़ता है तो ही रकम देनी पड़ती है। पहले नहीं।

क्या पुलिस जमानत पर न छोड़े तो कोई ही नहीं सकता?

नहीं। ऐसा नहीं है। तब मजिस्ट्रेट को ज की अर्जी देनी पड़ती है। जुर्म को देखकर मजि तय करता है कि वह जमानत दे या न दे।

कई बार पुलिस कोरे कागज पर दस्तखत लेती है। बाद में लिख देती है कि हमने अ जुर्म कबूल कर लिया है। तो क्या सजा जायेगी उस आदमी को?

सबसे पहले तो कभी भी कोरे कागज
दस्तखत करना ही नहीं चाहिए। पुलिस अ
किसी कागज पर दस्तखत नहीं करा सकती।
डरा-धमकाकर या लालच देकर पुलिस दस्त
करा ले तो भी डरने की बात नहीं। मजिस्ट्रेट
यह बात बता देनी चाहिए। मजिस्ट्रेट के सामने
बयान देना चाहिए। पुलिस के कहने में नहीं
चाहिए।

एफ॰ आई॰ आर॰ क्या बला होती है?

एफ॰ आई॰ आर॰ का मतलब है थाने में
अपराध की रिपोर्ट लिखवाना। दीवानी मामल

छोडकर पुलिस को हर अपराध की एफ॰ आई॰ आर॰ लिखनी पड़ती है।

क्या पुलिस जैसे चाहे उस तरह एफ॰ आई॰ आर॰ लिख सकती है?

नहीं। हम खुद लिखकर दे सकते हैं। इसे लिखने का कोई खास तरीका नहीं है। जिस तरह चाहें लिखकर दे सकते हैं। अगर लिखना नहीं आता तो पुलिस को सब बातें बता दें। पुलिस उसे लिखकर आपको पढ़कर सुनाएगी। शिकायत ठीक लिखी हो तो उस पर अपने दस्तखत कर दें। वरना मना कर दें। ठीक से लिखने के लिए पुलिस से कहें। फिर दस्तखत करें।

और हां, एफ॰ आई॰ आर॰ कि एक कापी भी पुलिस से जरूर ले लें। इसे लेना आपका हक है और इसे देना पुलिस की जिम्मेदारी है।

क्या एफ॰ आई॰ आर॰ लिखवाने के लिए किसी गवाह को भी ले जा सकते हैं?

बिलकुल ले जा सकते हैं। कई बार आपको शक हो सकता है कि जिसकी शिकायत कर रहे

हैं, वह बड़ा आदमी है, बड़ी पहुंच वाला है। इस वजह से पुलिस आपसे बुरा बर्ताव कर सकती है। ऐसी हालत में आप अपनी हिफाजत के लिए किसी को ले जा सकते हैं। पुलिस इससे आपको रोक नहीं सकती।

मान लो कोई घटना आज हुई। किसी वजह से आज रिपोर्ट नहीं लिखा पाये। कल गये या परसों गये। क्या पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देगी?

नहीं करेगी। आपको सिर्फ यह लिखवाना पड़ेगा

कि रिपोर्ट लिखवाने मे देरी क्यो हुई? किस वजह से हुई?

क्या किसी औरत को पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जा सकती है?

बिलकुल नहीं ले जा सकती। 15 साल से कम उम्र के लड़कों और औरतों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने नहीं ले जा सकती। किसी भी औरत से उसके घर पर ही सवाल-जवाब किये जा सकते हैं।

क्या पुलिस कभी भी पूछताछ के लिए किसी के घर पर आ सकती है?

आ तो सकती है। लेकिन आपको लगता है कि पुलिस आपको तंग करने के लिए ऐसा कर रही है तो आप मजिस्ट्रेट से शिकायत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस के आने का समय तय करेगा।

मान लो कि पुलिस किसी औरत के घर आये। कहे कि यह नशीली चीजें बेचने का धंधा करती है। हम इसके शरीर की तलाशी लेंगे। तो क्या ले सकती हैं?

किसी औरत की तलाशी कोई महिला पुलिस अफसर ही ले सकती है. कोई मर्द पुलिस अफसर किसी महिला के शरीर की तलाशी नहीं ले सकता। मर्द पुलिस अफसर तलाशी देने को कहे तो मना किया जा सकता है। हां, वह मकान या दुकान की तलाशी ले सकता है।

मान लो पुलिस अपने साथ खुद नशीली चीज ले आये। घर में रख दे। फिर तलाशी करके कहे कि यह आपके घर से मिली। ऐसी सूरत में क्या करें?

तलाशी लेने के पहले आप पुलिस की भी तलाशी ले सकते है. यह आपका हक है. इसके अलावा तलाशी या बरामदगी के वक्त पड़ोस में रहने वाले दो इज्जतदार लोगों का वहां होना जरूरी होता है। तलाशी का पंचनामा पुलिस को बनाना पड़ता है। अगर कोई चीज पुलिस जब्त करे, तो पंचनामे में पुलिस को लिखना पड़ता है। इस पंचनामे पर तलाशी के वक्त मौजूद दो आदमियों के दस्तखत होना जरूरी होता है। इस पंचनामे की एक कापी भी पुलिस आपको देगी। न दे तो उससे मांग सकते हैं।

मान लो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में उसे हाजिर किया। तब क्या वह किसी की मदद ले सकता है?

बिलकुल ले सकता है। वकील की मदद ले सकता है। अगर वह गरीब है, वकील की फीस नहीं दे सकता है तो अदालत उसके लिए वकील भी मुकर्रर कर देगी। इसके लिए अदालत को या वकील को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। सरकार के खर्चे पर मुकदमा लड़ा जाता है।

क्या किसी औरत को मर्दो के साथ हिरासत मे रखा जा सकता है?

नहीं रखा जा सकता है। मर्दों को अलग रखना होता है, औरतों को अलग। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो इसकी मांग की जा सकती है। अगर वहां औरतों का अलग कमरा नहीं है तो दूसरे पुसिल थाने में भेजने की मांग करनी चाहिए। औरत को अपनी गिरफ्तारी के समय पुलिस थाने में महिला-पुलिस रखने की मांग भी करनी चाहिए। यह उसका हक है।

●●●